O/C.

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार .
महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-१
कानपुर नगर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर।

विषय- एल.एल.एम. की दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुमति तथा उसमें की गयी आपत्ति के संदर्भ में।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें प्रार्थी से एल०एल०एम० (दूरस्थ शिक्षा) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के संदर्भ में अध्ययन अवकाश का उपभोग किये जाने के संदर्भ में सपष्टीकरण चाहा गया था।

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थी कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय से दो वर्षीय एल०एल०एम० पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning) के माध्यम से करना चाहता है जिसकी वार्षिक परीक्षा जून माह में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है जिसके लिये प्रार्थी ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश का उपभोग करेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या - 35/IV-h-16/ADMIN. (A-4)/ Dated- 04.11.11 के अनुक्रम में प्रार्थी द्वारा अध्ययन अवकाश (Study Leave) का उपभोग नही किया जायेगा। सादर अवगत कराना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल०एल०एम० का कोर्स करने पर प्रार्थी को कोई क्लास अटेन्ड नही करनी है।

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से एल०एल०एम० पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning) में दिनांक- 30.10.2020 को अंतिम तिथि से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुमति की प्रत्याशा में आनलाइन फार्म भरा गया है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एल०एल०एम० करने हेतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय से प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,
08/1/2021

(ज्ञानेन्द्र कुमार)
महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-१
कानपुर नगर

दिनांक- 08/1/2021

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।**

पत्रांक 82/I दिनांक, कानपुर नगर 8 जनवरी, 2021

महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर।
08.01.21
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर